उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–3
संख्या–1319/77–3–08–26अव0/08
लखनऊः दिनांक 13 मई, 2008

कार्यालय ज्ञाप

ग्रेटर नोएडा से बलिया तक 08 लेन प्रवेश नियत्रिंत एक्सप्रेस–वे के निर्माण सहित कतिपय लिंक एक्सप्रेस–वेज के स्वामित्व एवं तत्सम्बंधी कार्यवाही हेतु गठित 'उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस–वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण' (यूपीडा) को तदनुसार कार्यवाही करने हेतु निम्नलिखित एक्सप्रेस–वे हेतु भी राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कर दिया गया हैः–

''नरौरा से गंगा नदी के बांये तट पर उत्तराखंड प्रदेश की सीमा से 10किमी0 उत्तर प्रदेश की सीमा तक''।

2– अतः उक्त एक्सप्रेस–वे के सबंध में भी तकनीकी एवं वित्तीय सम्भावयता तलाशने सहित आवश्यकतानुसार उक्त एक्सप्रेस–वे के स्वामित्व एवं पी.पी.पी. आधार पर कियान्वयन हेतु परामर्शी का चयन/विकासकर्ता का चयन सहित अन्य समस्त कार्यवाही हेतु 'यूपीडा' को नोडल संस्था नामित करते हुए प्रकिया में सहायता हेतु 'परामर्शी मूल्यॉकन समिति' का निम्नानुसार गठन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1–	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त	– अध्यक्ष
2–	प्रमुख सचिव, न्याय विभाग	– सदस्य
3–	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग	– सदस्य
4–	प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग	– सदस्य
5–	प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग	– सदस्य
6–	प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई विभाग	– सदस्य
7–	प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	– सदस्य
8–	प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग	– सदस्य
9–	प्रमुख सचिव/सचिव, वन विभाग	– सदस्य
10–	प्रमुख सचिव/सचिव, अवस्थापना विकास विभाग	– सदस्य
11–	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा	– सदस्य/ संयोजक

3– उक्त समिति इस संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या –1684/77–6–2007–एलसी–21/2007, दिनांक 29.06.2007 में उल्लिखित दिशा निर्देशो के अनुरूप कार्य करेगी।

(अतुल कुमार गुप्ता)
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त।

संख्या–1319(1)/77–3–08–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– स्टाफ आफिसर, मंत्रि मण्डलीय सचिव।
2– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव।
3– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री।
4– उपरोक्त समिति के अध्यक्ष एवं समस्त सदस्यगण।
5– अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
ह0/–
(अर्चना अग्रवाल)
सचिव